न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

पीठासीन अधिकारी : साधुराम जाट (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 97 / 2017

रामनिवास पुत्र अर्जुनराम जाति जाट निवासी टमकोर तहसील मलसीसर जिला झुझुनू

वादी

बनाम

1. नारायणसिंह पुत्र गणपतसिंह जाति राजपूत निवासी टमकोर तहसील मलसीसर जिला झुझुनू
2. प्रहलाद पुत्र गणपतसिंह जाति राजपूत निवासी टमकोर तहसील मलसीसर जिला झुझुनू
3. सबलसिंह पुत्र गणपतसिंह जाति राजपूत निवासी टमकोर तहसील मलसीसर जिला झुझुनू
4. जयपालसिंह पुत्र हरलाल जाति जाट निवासी टमकोर तहसील मलसीसर जिला झुझुनू।
5. मोहरसिंह पुत्र हरलाल जाति जाट निवासी टमकोर तहसील मलसीसर जिला झुझुनू।
6. नरेश कुमार पुत्र हरलाल जाति जाट निवासी टमकोर तहसील मलसीसर जिला झुझुनू।
7. मनोहरी पत्नी रतनसिंह जाति जाट निवासी टमकोर तहसील मलसीसर जिला झुझुनू
8. अनिता पत्नी नरेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी टमकोर तहसील मलसीसर जिला झुझुनू।
9. रणवीर पुत्र हरलाल जाति जाट निवासी टमकोर तहसील मलसीसर जिला झुझुनू।
10. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मलसीसर।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत धोषणार्थ एवं रिकार्ड दुरूस्ती व विभाजन

निर्णय

निर्णय दिनांक 14.05.2022

संक्षेप मे वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम टमकोर पटवार हल्का टमकोर की सरहद में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 की सहखातेदारी भूमि खसरा नम्बर 162/4 रकबा 11 बीधा 10 बिश्वा हाल ख0न0 816 रकबा 0.25 है0, ख0न0 817 रकबा 0.13 है0, ख0न0 818 रकबा 2.83, ख0न0 819 रकबा 0.05 है0, ख0न0 820 रकबा 0.04 है0, ख0न0 821/956 रकबा 0.05 है0 व ख0न0 816/983 रकबा 0.21 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 3.56 है0 अवस्थित है जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का प्रत्येक 1/3–1/3 हिस्सा रहा है। वादी ने प्रतिवादी संख्या 3 सबलसिंह से दिनांक 04.05.1994 को गत ख0न0 162/4 रकबा 11 बीधा 10 बिश्वा में से 1 बीधा पुख्ता भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की जो उपपंजीयक मलसीसर के यहां दिनांक 04.05.1994 को पंजीबद्व किया गया। इस प्रकार वादी भी उक्त भूमि में 1 बीधा भूमि का सहखातेदार हुआ। दिनांक 15.09.2017 को राजस्व रिकार्ड जमाबंदी की नकल लेने पर ज्ञात हुआ कि रामनिवास पुत्र अर्जुनराम की जगह श्री निवास पुत्र अर्जुनराम दर्ज कर दिया। इस प्रकार वादी मुताबिक कब्जा काश्त के अपनी 1 बीधा भूमि का रामनिवास पुत्र अर्जुनराम के नाम से खातेदार काश्तकार धोषित करवाया जाकर अलग से खाता विभाजन करवाये जाने का अधिकारी है। वादी द्वारा अपनी क्रयशुदा भूमि में से 409.09 वर्गगज या 342.04 वर्गमीटर भूमि रणवीर पुत्र हरलाल को जरिये विक्रय पत्र विक्रय कर दी। अतं में वादी स्वीकार फरमाया जाकर वादी को 1 बीधा पुख्ता भूमि में से 409.09 वर्गगज या 342.04 वर्गमीटर भूमि कम करते हुये शेष भूमि का खातेदार काश्तकार

दर्ज किया जाकर अलग खाता विभाजन किया जावे तथा वादी का नाम रामनिवास पुत्र अर्जुनराम दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलवाना नोटिस जारी कर वादग्रस्त भूमि के संबंध में वाद पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में कोई उजर एतराज हो तो निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करने हेतु पाबन्द किया गया।

वादी ने दावा विचाराधीन रहते एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि उपरोक्त उनवानी प्रकरण में वादी केवल अपना नाम श्रीनिवास की बजाय रामनिवास दुरूस्त करवाकर राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करवाना चाहता है। अन्य सिद्धि वादी प्राप्त नहीं करना चाहता। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त उनवानी प्रकरण में वादी का नाम श्रीनिवास के स्थान पर रामनिवास दुरूस्त फरमाया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। प्रतिवादीगण की ओर से वादी के उपरोक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर नाम दुरूस्त किये जाने में कोई उजर एतराज नहीं होना जाहीर किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। वादी द्वारा अपना नाम श्रीनिवास के स्थान पर रामनिवास दुरूस्त करने का अनुतोष चाहा गया है। जिस पर प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है। अतः वाद स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

निर्णय

अतः वाद वादी आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम टमकोर की सरहद में स्थित वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम श्रीनिवास के स्थान पर रामनिवास दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई सिद्धि वादी द्वारा नहीं चाही गई है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.05.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14/5/22

(साधुराम जाट)
उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर
उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर